

24/5/24

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई। वकील
अग्रयपत्रकारानु के समक्ष सुनवाई की गई। वकील
उत्पिपदी ने निर्वेदन किया कि पूर्व में इन्हीं पत्रकारों
के मध्य इन्हीं ~~का~~ खसरा नम्बरानु को लेकर
वाद रामसिंह / शेरसिंह विचाराधीन है फिर भी
नए आवानु के साथ यह दावा पेश कर दिया गया
प्रार्थी ने अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाकट
करवा दिया जो कि राजस्थान कक्षकारी निर्माण के
विषय है अतः दावा इसी स्तर पर खासि प्रथम
आवेदन है।

वकील वकील श्री मुकेश चौधरी ने निर्वेदन किया कि
विवाद का किन्तु रास्ते को लेकर है जो कि खसरा
नं 214, 215 से होकर निकला है।

प्रकरण में दावा 'पूर्व में' विचाराधीन है अतः न्यायम
में दीक्षाव की स्थिति निपट के अनुकूल नहीं है अतः
पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारि की जागी है।
पत्रावली फैसल शुमार ही नम्बर से कम है।

UP for
referred
12/2/23
7.8
[Signature]

